कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ0प्र0
प्रार्थी :- सर्वश्री अभिराज इण्डस्ट्रीज, 86/11 ,कालपी रोड ,कानपुर ।
प्रार्थना पत्र सं0 :- 36 / 2008
प्रार्थी की ओर से :- श्री अभिषेक गर्ग, फर्म प्रोपराइटर ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री अभिराज इण्डस्ट्रीज, 86/11 ,कालपी रोड ,कानपुर के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 07-02-2008 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है :-

'' प्लास्टिक रोप (रस्सी) और प्लास्टिक सुतली पर कर की दर क्या होगी ? ''

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या- 808 दिनांक 15-02-2008 से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, कानपुर जोन कानपुर से आख्या मॉगी गई जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुयी है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 18-02-2008 को श्री अभिषेक गर्ग, फर्म प्रोपराइटर उपस्थित हुए । उन्होनें तर्क किया कि उनकी फर्म में प्लास्टिक रस्सी , प्लास्टिक सुतली का निर्माण और खरीद तथा बिक्री का कारोबार होता है।उन्होनें मेरे समक्ष विभिन्न वस्तुओं के नमूने प्रस्तुत करते हुये तर्क किया कि प्लास्टिक रस्सी और प्लास्टिक सुतली का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को पैक करने और बांधने में किया जाता है अत: इन पर कर की दर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या -केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू0पी0 अध्या0-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 की अनुसूची -2 के भाग -क के क्रमांक -90 के अन्तर्गत आयेगा जिस पर कर की दर 4% होनी चाहिए ।

4- मैनें प्रार्थी के तर्को को सुना तथा अभिलेखो का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा प्लास्टिक रस्सी और प्लास्टिक सुतली का निर्माण तथा खरीद तथा बिक्री का कार्य किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रुप से विभिन्न वस्तुओं को बांधने अर्थात पैक करने के काम में ही सामान्यतया होता है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या -केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू0पी0 अध्या0-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 की अनुसूची -2 के भाग -क के क्रमांक -90 की प्रविष्टि निम्न प्रकार है :-

क्रमांक-90- पैकिग केसेस एवं पैकिग मेटेरियल जिसमें कार्क,कार्क शीट ,गनी बैग्स, एच डी पी ई पी पी वोवन स्ट्रिप्स , एच डी पी ई पी पी सरकूलर स्ट्रिप्स एवं वोवन फैब्रिक ,हैसियन क्लाथ, हैसियन बेस्ड पेपर, पॉलीथीन , हैसियन बेस्ड पेपर .एच डी पी ई फैब्रिक बेस्ड पेपर एवं बिटुमिनाइज्ड जलरोधी कागज, जूट रस्सा, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक बैग्स जिसमें दूध रखने के एल0डी0पी0ई0 प्लास्टिक बैग्स, टिन कन्टेनर ,शूक्स ,टी चेस्ट ,रददी कागज ,लकड़ी के बक्से , लकड़ी की शेविग , लकड़ी के क्रेट, लकड़ी के केबिल ड्रम या अन्य वस्तुयें जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विज्ञापित होगी ,सम्मिलित है।

स्पष्टीकरीण - तख्ता ,पैनल,वैटन जब जोड़ने पर टी चेस्ट या पैकिग केस का निर्माण करें तो इस प्रविष्टि के लिये पैकिंग केसेस माने जायेगें ।

क्रमश: पृष्ठ 2 पर /

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्रा0प0सं0-36/08,सर्वश्री अभिराज इन्डस्ट्रीज, 86/11 कालपी रोड ,कानपुर ।

उपरोक्त प्रविष्टि में पैकिग केसेज और सभी प्रकार के पैकिग मैटेरियल सम्मिलित है। इस प्रकार यह पैकिग मेटेरियल से सम्बन्धित विस्तृत प्रविष्टि है तथा प्रार्थी के द्वारा निर्मित प्लास्टिक रस्सी और प्लास्टिक सुतली भी विभिन्न वस्तुओं को बांधने तथा पैकिंग के काम आती है अत: वह भी इसी क्रमांक की प्रविष्टि के अन्तर्गत आयेगे जिस पर कर की दर 4% होगी ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 18, फरवरी ,2008

ह0 18-2-08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com